राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] ग्यारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार,
8 जनवरी, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.30 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पीठासीन)

घोषणा

सभापति-तालिका

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9 (1) के अंतर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत करता हूं :

(1) श्री हीरासिंह चौहान

(2) श्री रामनारायण चौधरी

(3) श्री तकीउद्दीन अहमद

(4) श्री हरिसिंह (महुवा)

दलीय स्थिति

भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्षी दल तथा श्री भैरोंसिंह शेखावत को नेता, प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी दल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत, विधायक को उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है तथा पार्टी के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

सचिव, विधान सभा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री महेश सिंह तंवर) : महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है: —

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1998;

(2) राजस्थान वित्त विधेयक, 1998 (विधेयक संख्या 10/98)

(सचिव)

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1998 (विधेयक संख्या 11/98)

(4) राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 1998 (विधेयक संख्या 14/98)

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री वित्त विभाग की 42 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 42 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (37) वित्त/कर-अनु/98-72 दिनांक 1-8-98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम पर 12 प्रतिशत की दर से अधिभार व्यवहारी द्वारा संदत्त किया जायेगा। उपर्युक्त दर पर अधिभार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन यथा प्रमाणित अंतराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल पर भी संदेय होगा यदि इन मानों पर लागू कर की प्रभावी दर 4 प्रतिशत से कम हो।

(2) अधिसूचना संख्या प. 2 (15) वित्त/कर/98-73 दिनांक 14-8-98 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और उपभोक्ताओं के बीच निष्पादित किये जाने वाले करार पर स्टाम्प शुल्क बढ़ा कर 10 रुपये किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या पं. 4 (14) वित्त/कर/98-74, दिनांक 21-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर/98-18, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या पं. 4 (14) वित्त/कर/98-75, दिनांक 21-8-98 जिसके द्वारा गुड़, आयातित चीनी, जौ, खाद्य, तेल, तिलहन, मिर्ची, हल्दी, सौंफ, धनिया, जीरा आदि वस्तुओं को दिनांक 21-8-98 से सरचार्ज से मुक्त किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या पं. 4 (14) वित्त/कर/98-76, दिनांक 21-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/कर-अनु/95-43, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या पं. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-77, दिनांक 21-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/कर-अनु/95-44, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या पं. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-78, दिनांक 21-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-66, दिनांक 28 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर/98-79, दिनांक 22-8-98 जिसके

(श्री चन्दनमल बैद)

द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-75, दिनांक 21-8-98 में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर/98-80, दिनांक 28-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-16, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या पं. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-81, दिनांक 31-8-98 जिसके द्वारा चावल-पोहा पर दिनांक 27-6-90 से 8-7-98 तक 4 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की गयी है।

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-82, दिनांक 31-8-98 जिसके द्वारा गुलकन्द के खरीद पर विक्रय पर लगने वाले कर को दिनांक 31-8-98 से मुक्त किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-83, दिनांक 31-8-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-16, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या प. 2 (18) वित्त/कर-अनु/98-84, दिनांक 5-9-98 जिसके द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में विभाजन विलेख पर संदेय एवं स्टैम्प शुल्क को यह भूमि 30 वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए राजस्व बन्दोबस्त पर धारित है और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, घटाकर 31 मार्च, 1999 तक वार्षिक राजस्व के सात गुने का 10 प्रतिशत किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-85, दिनांक 14-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-18, दिनांक 9 जुलाई, 98 में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-86, दिनांक 17-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-16, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-87, दिनांक 16-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-18, दिनांक 9 जुलाई, 98 में संशोधन किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-88, 89, दिनांक 17-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/कर-अनु/95-43, 44, दिनांक 9 जुलाई, 98 में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/98-90, दिनांक 17-8-98 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर नियम, 1992 के नियम 2 में संशोधन कर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 प्रतिस्थापित किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या प. 4 (59) वित्त/कर/95-91, दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (78) वित्त/कर-अनु/96-40, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या प. 4 (59) वित्त/कर/95-92, दिनांक 19-9-98 जिसके

(श्री चन्दनमल बैद)

द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-41, दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या प. 4 (59) वित्त/कर/95-93 से 95, दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा ट्रेक्टर, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड एवं आटो रिक्शाओं का निर्माण करने हेतु स्थापित होने वाली नयी इकाइयों तथा आटो एन्सीलरीज एवं आटो कम्पोनेन्ट्स (एसेसरीज को छोड़कर) पर निर्माण करने हेतु स्थापित होने वाली इकाइयों को राजस्थान राज्य में बिक्री पर कुछ शर्तों के अधीन करों में छूट प्रदान की गयी है;

(22) अधिसूचना संख्या प. (14) वित्त/कर/98-96, दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-16, दिनांक 9-7-98 में संशोधन किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-97, दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-18, दिनांक 9-7-98 में संशोधन किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर/98-98, दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा ताम्बे एवं ताम्बे के तारों पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने पर कर की दर 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गयी है;

(25) अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त / कर / 98-98-100 / दिनांक 19-9-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/कर-अनु/95-43, 44 दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है;

(26) अधिसूचना संख्या प. 4 (37) वित्त/कर-अनु/98-101 दिनांक 28-9-98 जिसके द्वारा राज्य में स्थापित मिनी सीमेन्ट प्लांट्स के लिए कम्पाउण्ड लेवी स्कीम 1998 दिनांक 28-9-98 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रारम्भ की गयी है;

(27) अधिसूचना संख्या प. 4 (74) वित्त/कर-अनु/96-102 दिनांक 15-10-98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मीटर किराये पर संदेय कर को कुछ शर्तों के अंतर्गत 27-6-90 से 31-3-99 तक मुक्त किया गया है;

(28) अधिसूचना संख्या प. 4 (7) वित्त/कर-अनु/98-103 दिनांक 15-10-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) वित्त/कर-अनु/98-101 दिनांक 28-9-98 में संशोधन किया गया है;

(29) अधिसूचना संख्या प. 2 (10) वित्त/कर/98-104 दिनांक 15-10-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (10) वित्त/कर-अनु/98-60 दिनांक 14-7-98 में संशोधन किया गया है।

(30) अधिसूचना संख्या प. 2 (10) वित्त/कर/98-105 दिनांक 17-10-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (10) वित्त/कर-अनु/98-104 दिनांक 15-10-98 में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

(31) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/98-106 दिनांक 27-10-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/97-16 दिनांक 9-7-98 में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

(श्री चन्दनमल बैद)

(32) अधिसूचना संख्या प. 8 (9) वित्त/कर-अनु/95-107 दिनांक 27-10-98 जिसके द्वारा राजकीय विमान प्राधिकरण हवाई अड्डा कोटा के लिए वर्ष 1998-99 के भूमि एवं भवन कर रुपये 5.00 लाख से अधिक राशि का राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस शर्त के साथ कर मुक्त किया गया कि अगले वर्ष हेतु कर निर्धारण पुनः कराया जायेगा;

(33) अधिसूचना संख्या प. 8 (9) वित्त/कर-अनु/95-108 दिनांक 27-10-98 जिसके द्वारा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे, जयपुर की भूमि एवं भवन के लिए वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 का 7.70 लाख प्रतिवर्ष कर के रूप में तथा वर्ष 1998-99 के लिए 10 लाख रुपये से अधिक कर की राशि को राजस्थान भूमि कर अधिनियम, 1964 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस शर्त के साथ कर मुक्त किया गया कि वर्ष 1998-99 कर निर्धारण नये सिरे से करवाने पर ही यह राशि मुक्त होगी;

(34) अधिसूचना संख्या प. 4 (24) वित्त/कर/0-109 दिनांक 10-11-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी पट्टाकर्ता, पट्टा वित्त कम्पनी, वित्तीय कम्पनी, बैंक या वित्तीय संस्था को वर्ष 1998-99 के दौरान संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के विक्रय को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन छूट इस शर्त पर दी गई है कि या तो क्रेता द्वारा या उसके नाम निर्देशित कम्पनी फर्म द्वारा अंततः राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को पट्टा वापस किया जावे;

(35) अधिसूचना संख्या प. 4 (24) वित्त/कर-अनु/90-110 दिनांक 10-11-98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को संयंत्र और मशीनरी का उपयोग उसे विद्युत शक्ति उत्पादन परेक्षण या वितरण में अनन्य रूप से काम लेने हेतु के अधिकार के अंतरण के संबंध में किये जाने वाले अधिकार की छूट बोर्ड द्वारा समयक रूप से प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त ऐसा पट्टा करार लिखते हुए विक्रेता व्यवहारी को अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित प्रमाण-पत्र घोषित करते हुए संयंत्र और मशीनरी (पट्टाकृत) बोर्ड द्वारा उत्पादन परेक्षण या वितरण के उपयोग में ली जावेगी। उपस्कर के उपयोग के अधिकारी के बारे में विक्रयों को सम्पूर्ण पण्यावर्त के संबंध में विधि मान्य रहेगी;

(36) अधिसूचना संख्या प. 4 (59) वित्त/कर-अनु/95-111 दिनांक 10-11-1998 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (78) वित्त/कर-अनु/96-41 दिनांक 9 जुलाई, 1998 में संशोधन किया गया है।

(37) अधिसूचना संख्या प. 2 (23) वित्त/कर/97-112 दिनांक 27-11-98 जिसके द्वारा वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक या क्रेडिट सोसाइटी द्वारा उधार लेने के प्रयोजनार्थ निष्पादित शपथ पत्र, करार, विलेख, प्रत्याभूति विलेख, बंधक विलेख इत्यादि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को परिहार किया गया है;

(38) अधिसूचना संख्या प. 2 (24) वित्त/कर-अनु/97-113 दिनांक 15-12-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त 80.50 करोड़ रुपये के उधार का बंधक विलेख पर

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रभारी स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 0.80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(39) अधिसूचना संख्या प. 2 (24) वित्त/कर-अनु/97-114 दिनांक 15-12-98 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त 80.50 करोड़ रुपये के उधार का बंधक विलेख पर प्रभारीय रजिस्ट्रीकरण फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया, यातायात मंत्री परिवहन विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं: —

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (237) परि/कर/मु/98 दिनांक 7 अगस्त, 1998 जिसके द्वारा जयपुर शहर में संचालित टैम्पों/विक्रम टैम्पों पर कर का आनुपातिक आधार पर परिहार किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 6 (96) परि/कर/मुक्त/मु/97 पार्ट-II दिनांक 25 सितम्बर, 1998 जिसके द्वारा अजमेर शहर को जाने-आने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिए 3000/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार किया गया है, जो उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है;

(3) अधिसूचना संख्या प. 6 (96) कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 जिसके द्वारा शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुबंधित बस को कर में छूट प्रदान की गयी है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या प. 6 (96) कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 28 अक्टूबर, 1998 जिसके द्वारा शैक्षणिक भ्रमण हेतु बस को कर में छूट प्रदान की गयी है।

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की प्रथम रिपोर्ट व अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त की 30वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा, समाज कल्याण मंत्री राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम रिपोर्ट एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की 30वीं रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम रिपोर्ट (12 मार्च, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक) एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 30वीं रिपोर्ट वर्ष 1989-91 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया यातायात मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(श्री अध्यक्ष)

निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, 1997 एवं प्रमाण-पत्र

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि माननीय चन्दनमल जी ने 42 अधिसूचनाओं का जिक्र किया है, हमारी सूची में केवल 39 हैं। आपने 42 रखी हैं, हमारे यहां 39 हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय ने मुझे 42 पेश करने की अनुमति दी थी। हो सकता है कि पूरक पत्र में या तीन आपके पास गयी हों और आपके पास नहीं पहुंची हों।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, इसमें तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी की अधिसूचनाएं 42 ही हैं। एक में दो हैं इसलिए यह गलतफहमी हुई है।

शोकाभिव्यक्ति

सर्व श्री प्रो. के. एम. चाण्डी; दशरथ देब; केशवचन्द गोगोई; घासीराम यादव; गोपीराम जाट; रामदेव चौधरी; प्रणवीर व्यास; त्रिलोक सिंह; रामचरण यादव; केसरीमल; फारूख हसन; गोरधन सिंह केन; भंवरलाल शर्मा (बूंदी) ; पुरुषोत्तम लाल शर्मा; मामा बालेश्वर दयाल; होशियार सिंह व खन्ना रेल दुर्घटना के मृतकों के प्रति

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए निम्न महानुभावों के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

गुजरात, मध्यप्रदेश और पांडिचेरी के पूर्व राज्यपाल प्रो. के. एम. चाण्डी का जन्म 6 अगस्त, 1921 को केरल के कोट्टायम जिले के पलाई में हुआ। आपने अंग्रेजी में एम. ए. की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1968 से 1972 तक आप पलाई के सेन्ट थॉमस कॉलेज में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे।

आपने 17 वर्ष की अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश किया और श्री जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में टैगोर अकादमी की स्थापना की। मीनाचिल तालुक कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे श्री चाण्डी ने वर्ष 1946-47 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गये। स्वतंत्रता के बाद आप केरल राज्य विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1952 एवं 1954 में पुनर्निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक रहे।

वर्ष 1982-83 में आप पांडिचेरी के उप-राज्यपाल, वर्ष 1983-84 में गुजरात तथा वर्ष 1984 से 1988 तक मध्य प्रदेश के

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान आप कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे तथा वर्ष 1953 से 1957 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। बाद में आप केरल कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष आदि पदों पर भी रहे।

आप केरल विश्वविद्यालय की सीनेट तथा प्रथम राज्य योजना मण्डल के सदस्य रहे। श्री चाण्डी वर्ष 1972 से 1978 तक रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष रहे। पलाई को-ऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष रहने के अलावा आप कोट्टायम जिला को-ऑपरेटिव बैंक, केरल राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, केरल राज्य मार्केटिंग फैडरेशन के निदेशक भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान आप अनेक राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आपके सक्रिय योगदान के कारण ही भारत प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ का सदस्य बना। वर्ष 1972 से 1978 के मध्य लंदन, कुआलालम्पुर, बैंकाक, सिंगापुर आदि देशों में हुए अन्तरराष्ट्रीय रबड़ सम्मेलनों में आपने भारतीय दल का नेतृत्व किया।

श्री के. एम. चाण्डी का 7 सितम्बर, 1998 को निधन हो गया।

त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री और वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री दशरथ देव का जन्म 2 फरवरी, 1916 को पश्चिमी त्रिपुरा के खोवाई उप मंडल के गांव आमपुरा में हुआ। आपने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के हबीगंज वृन्दावन कॉलेज से स्नातक के उपाधि प्राप्त करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं एलएल. बी. की डिग्री के लिए अध्ययन किया लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के कारण शिक्षा पूरी नहीं कर सके।

पूर्वोत्तर त्रिपुरा राज्य में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता श्री देव वर्ष 1983 में राज्य के मुख्य मंत्री बनाए गए। इससे पूर्व आप वर्ष 1978 में राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और 1983 में उप मुख्य मंत्री भी रहे।

आप वर्ष 1952 से 1971 तक लगातार चार बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राज्य के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय में लोकप्रिय रहे श्री देव ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। आजीवन किसान सभा के उपाध्यक्ष रहे श्री देव ने किसानों के उत्थान के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया।

वर्ष 1950 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनने के बाद आप पार्टी की केन्द्रीय समिति के भी सदस्य रहे। वर्ष 1988 से 1993 तक आप त्रिपुरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति के सचिव रहे।

स्थानीय आदिवासी भाषा के अलावा आप बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखीं। अपने 6 दशक के राजनीतिक जीवन में आपने ब्रिटेन, यूरोप और सोवियत संघ की यात्राएं भी कीं।

श्री देव का 14 अक्टूबर, 1998 को निधन हो गया।

असम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री केशव चन्द्र गोगोई का जन्म असम के शिव सागर जिले के ग्राम लंकाक में 29 सितम्बर, 1926 को

(श्री अध्यक्ष)

हुआ। आपने बी. ए., एलएल. बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

वर्ष 1978 में आप डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में असम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वर्ष 1982 में राज्य के मुख्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 1983 में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पुनः विधायक चुने गये और असम सरकार में केबिनेट मंत्री बनाए गए। वर्ष 1985 और 1991 में भी आप डिब्रूगढ़ से ही कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित श्री गोगोई जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। आपने वर्ष 1991 में श्री लंका में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन में असम राज्य की सी. पी. ए. शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

श्री केशव चन्द्र गोगोई का दिनांक 5 अगस्त, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री घासीराम यादव का जन्म 15 नवम्बर, 1924 को अलवर जिले के भुनगड़ा ग्राम में हुआ। आपने एम. ए., एलएल. बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री यादव अलवर जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, नौवीं और दसवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। आप वर्ष 1998 में बारहवीं लोक सभा के लिए अलवर क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर सांसद के रूप में निर्वाचित हुए।

श्री यादव वर्ष 1966-67 में राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा वर्ष 1981 से 1985 के मध्य राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रहे। विधान सभा में आप राजकीय उपक्रम समिति, गृह समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा सिंचाई, विधि एवं न्याय विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति तथा महिलाओं और बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य भी रहे।

समाज सेवी श्री यादव एक जुझारू जन प्रतिनिधि रहे। राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में आपने शासकीय क्षमता एवं जन कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

श्री घासीराम यादव का दिनांक 30 नवम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गोपीराम जाट का जन्म 3 मई, 1947 को जयपुर जिले के पचार गांव में हुआ। आपने बी. ए. तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गोपीराम जाट जयपुर जिले के आमेर क्षेत्र से नवीं व दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। श्री जाट राजस्थान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1990-92 में जन लेखा समिति व गृह समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 1994-95 में प्राक्कलन समिति (ख) के सदस्य रहे। श्री जाट भाजपा जयपुर जिला देहात के महामंत्री व अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1980-84 में भारतीय जनता पार्टी, झोटवाड़ा मण्डल के महामंत्री भी रहे।

श्री गोपीराम जाट वर्ष 1967-68 में एस. एस. जी. पारीक कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आप इसी कॉलेज में कबड्डी टीम

(श्री अध्यक्ष)

के कप्तान भी रहे। वर्ष 1986-93 में आदर्श विद्या मंदिर, झोटवाड़ा के व्यवस्थापक रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री जाट गरीबोत्थान व दलित वर्ष के लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे।

श्री गोपीराम जाट का दिनांक 30 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामदेव चौधरी का जन्म नागौर जिले के वरण गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामदेव चौधरी नागौर जिले के मूण्डवा निर्वाचन क्षेत्र से छठी व आठवीं राजस्थान विधान सभा में क्रमशः कांग्रेस व लोकदल के विधायक रहे। विधान सभा में श्री चौधरी विशेषाधिकार समिति व याचिका समिति के सदस्य रहे।

श्री चौधरी पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत में ग्राम पंचायत कुम्हारी के प्रथम सरपंच बने और इस पद पर 20 वर्षों तक रहे। आप स्थानीय को-ऑपरेटिव सोसायटी के चेयरमैन भी रहे। श्री रामदेव चौधरी गरीब किसानों व शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सदैव सक्रिय रहे।

श्री रामदेव चौधरी का दिनांक 12 नवम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री प्रणवीर व्यास, का जन्म 13 नवम्बर, 1943 को भीलवाड़ा जिले में हुआ। आपने गांधी विद्यालय, गुलाबपुरा से दसवीं तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रणवीर व्यास आठवीं विधान सभा के लिए भीलवाड़ा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गये। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा प्राक्कलन समिति (क) के सदस्य रहे। श्री व्यास की सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि थी।

श्री प्रणवीर व्यास का दिनांक 4 अगस्त, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री त्रिलोक सिंह का जन्म सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के अलफसर गांव में विक्रम संत् 1978 में हुआ। आपने मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री त्रिलोक सिंह सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1940 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्ट के सदस्य बने तथा सीकर जिला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री त्रिलोक सिंह आजीवन अविवाहित रहकर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। आप राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में आपने लगभग पचास बार जेल यात्राएं की और लगभग साढ़े आठ वर्ष जेल में रहे।

श्री त्रिलोक सिंह का दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया।

राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री रामचरण यादव का जन्म वर्ष 1929 में कोटा जिले के भंवरगढ़ ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामचरण यादव चौथी एवं पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए अटरू निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ एवं कांग्रेस के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1967 से 1971 तक राजस्थान सरकार में उप

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री रहे। श्री यादव कृषि व किसानों के उत्थान के लिए सदैव सक्रिय रहे।

श्री रामचरण यादव का दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री केसरीमल का जन्म 16 जून, 1916 को अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में हुआ। आपने छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री केसरीमल पांचवी राजस्थान विधान सभा के लिए ब्यावर क्षेत्र से साम्यवादी दल से विधायक चुने गये। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरीमल वर्ष 1930-44 के मध्य भारतीय कांग्रेस के सदस्य तथा 1944 के बाद भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य रहे। आप राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष, भारतीय साम्यवादी दल की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कौंसिल के सदस्य, टैक्सटाइल लेबर यूनियन के महामंत्री तथा जिला विद्युत कर्मचारी यूनियन, अजमेर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री केसरीमल का दिनांक 28 सितम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व शिक्षा मंत्री एवं न्यायाधीश श्री सैयद फारूख हसन का जन्म 1 जनवरी, 1932 को टौंक जिले के मालपुरा कस्बे में हुआ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम. ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री फारूख हसन पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए सवाईमाधोपुर से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1973 से 1977 तक आप राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं कानून राज्य मंत्री रहे।

समाज सेवी एवं न्यायविद् श्री हसन राजस्व मण्डल और वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रहे। आप 12 जुलाई, 1985 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और वर्ष 1994 तक इस पद पर आसीन रहे। आप वर्ष 1964-67 में सवाईमाधोपुर नगरपालिका की उप नियम समिति के संयोजक रहे। आप सवाई माधोपुर की जमीयत-उल-उलेमा तथा अन्जुमन इस्लामिया के अध्यक्ष भी रहे। श्री हसन की मानव कल्याण व राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्यों में विशेष रुचि रही।

श्री फारुख हसन का दिनांक 19 नवम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पर्व विधायक श्री गोवर्धन सिंह का जन्म 30 अक्टूबर, 1921 को भरतपुर में हुआ। आपने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की।

श्री गोवर्धन सिंह भरतपुर जिले के बयाना निर्वाचन क्षेत्र से द्वितीय राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप जाटव सभा के उप मंत्री व प्रधान भी रहे। आप जयपुर डिवीजन दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष भी रहे। श्री गोवर्धन सिंह सामाजिक उत्थान के कार्यों के साथ-साथ संगीत व साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे।

श्री गोवर्धन सिंह का दिनांक 24 नवम्बर, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री भंवरलाल शर्मा का जन्म विक्रम संवत् 1978 में बूंदी जिले के लाखेरी ग्राम में हुआ। श्री भंवरलाल शर्मा द्वितीय राजस्थान विधान सभा में बूंदी जिले के हिण्डौली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आजीवन सदस्य रहे तथा दो बार बूंदी जिले

(श्री अध्यक्ष)

के जिला प्रमुख भी रहे। आपने लाखेरी श्रमिक आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया था। आप लाखेरी म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य व सचिव रहे।

श्री शर्मा हरिजनों व पिछड़ी जातियों के उत्थान में विशेष रुचि रखते थे। भारत सेवक समाज जिला बूंदी के संयोजक रहे। श्री शर्मा की साहित्य, अध्ययन एवं नाटक आदि में भी रुचि थी।

श्री भंवरलाल शर्मा का दिनांक 24 अगस्त, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा का जन्म विक्रम संवत् 1966 में चैत्र चतुर्दशी को जयपुर जिले के ग्राम गहलोता में हुआ। विधि की उपाधि प्राप्त श्री शर्मा को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती एवं मराठी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।

स्वतंत्रता सेनानी श्री शर्मा दूसरी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में किशनगढ़ क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। पेशे से वकील रहे श्री शर्मा किशनगढ़ प्रजामण्डल के अध्यक्ष तथा किशनगढ़ नगरपालिका बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप खाद्य आपूर्ति, स्वायत्त शासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के मंत्री रहे। श्री शर्मा कई वर्षों तक किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा का दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी मामा बालेश्वर दयाल का जन्म वर्ष 1905 में उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। आपको अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। आपका प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन अध्यापक के रूप में बीता। आदिवासी अपनी परम्परानुसार आपको आदर से "मामा" कहते थे।

आदिवासी समुदाय के मसीहा कहे जाने वाले मामा बालेश्वर दयाल वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में सक्रीय और देश की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये संघर्षशील रहे। ईसाई पादरियों द्वारा एक हजार से अधिक भीलों को ईसाई बना दिये जाने की घटना ने आपको झकझोर कर रख दिया और आपने आदिवासियों की दयनीय दशा व विपन्नता को देखकर उनके उत्थान का महाव्रत धारण किया।

आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री बालेश्वर दयाल ने बांसवाड़ा जिल के निकट मध्य प्रदेश राज्य में पड़ने वाले बामनिया में अपना आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम में आपने आदिवासियों को सामाजिक बुराइयों से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ उनमें आत्म सम्मान की भावना भी जागृत की। यहां आपने भीलोड़ी भाषा में समाचार पत्र भी प्रकाशित किये और उनके माध्यम से आदिवासी समुदाय में व्याप्त जड़ता को समाप्त कर सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य किया।

स्वतंत्रता के बाद मामा बालेश्वर दयाल राजनीति में भी सक्रिय रहे और राज्य सभा के सदस्य चुने गये लेकिन आपने अपने सार्वजनिक जीवन पर राजनीति को कभी हावी नहीं होने दिया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से की गई सेवाओं के

(श्री अध्यक्ष)

कारण ही आप राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पूजे जाते रहे। जन कल्याण हेतु की गई सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको एक लाख रुपये के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

श्री बालेश्वर दयाल का निधन 26 दिसम्बर, 1998 को हो गया।

मुम्बई से अमृतसर जा रही फ्रंटियर गोल्डन टैम्पल मेल दिनांक 26 नवम्बर, 1998 को तड़के 3 बजकर 13 मिनट पर खन्ना के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस रेलगाड़ी से टूटकर अलग हुए नौ डिब्बे दूसरी पटरी पर जा गिरे तथा जम्मू से कलकत्ता जा रही सियालदेह एक्सप्रेस की उनसे सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे गये तथा बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे हताहत हो गये।

भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह का जन्म 5 मई, 1936 को हरियाणा के रोहतक जिले के सिसाना में हुआ। आप भारतीय सेना की तीसरी ग्रेनेडियर्स में अधिकारी थे।

कर्नल होशियार सिंह ने वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अपनी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य सैन्य मनोबल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस युद्ध के दौरान कर्नल होशियार सिंह ने अग्रिम कम्पनी की कमान संभाली और शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करने तथा दुश्मन के सभी हमलों को साहस के साथ विफल करने में कामयाब रहे। युद्ध के दौरान घायल होने के बाद भी विचलित हुए बिना आपने बड़ी वीरता से दुश्मन के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वीरता पर आपको भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया।

कर्नल होशियार सिंह का 6 दिसम्बर, 1998 को निधन हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही 11 जनवरी, 1999 सोमवार 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.00 बजे सोमवार; 11 जनवरी, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुए)।

परिशिष्ट

(राज्यपाल महोदय श्री एन. एल. टिबरेवाल का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। यह अति प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं नव निर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनन्दन करता हूं। साथ ही माननीय सदस्यों और राज्य के निवासियों को मैं नये वर्ष की शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूं।

2. गत वर्ष हमने आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया था। पूरे देश में इस अवसर पर सक्रिय जन सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण की अगुवाई की और हमनें विदेशी सत्ता से आजादी प्राप्त की। स्वतन्त्रता संग्राम में कई ज्ञात व अज्ञात शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। हजारों लोग जेलों में गये। इस अवसर पर मैं ज्ञात एवं अज्ञात सभी शहीदों को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा जो स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच हैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।

3. हाल ही में सम्पन्न विधान सभा के चुनावों में राजस्थान की जनता ने तीन चौथाई से भी अधिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को देकर एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है। नई राज्य सरकार ने जनता से वायदा किया है कि वह पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील प्रशासन देने में कामयाब होगी।

4. प्रायः सभी जानते हैं कि प्रदेश के वर्तमान विकास के लिए मूलभूत ढांचा कांग्रेस शासन के दौरान ही खड़ा किया गया, चाहे सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण हो, चाहे बिजली के लिए विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, अस्पतालों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सड़कों अथवा रेल लाइनों का विस्तार हो, यह सब कांग्रेस की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण ही सम्भव हो पाया था। इन मूलभूत सुविधाओं के कारण ही हम गांवों को शहरों से जोड़ पाये हैं। कृषकों के उत्पादित माल को विक्रय के लिए मण्डी तक लाने में हम सक्षम हो पाये हैं। यही नहीं, विकास की दृष्टि से जहां वर्ष 1951 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग पांच हजार मात्र ही थी वहीं कांग्रेस के शासन काल (वर्ष 1951 से 1977 तथा 1980 से 1990) की अवधि में यह संख्या 39855 तक हो गई। इसी प्रकार इस अवधि में 132 महाविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय, 5 अभियांत्रिकी विद्यालय, 19 पालीटेक्नीक विद्यालय तथा 53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांग्रेस शासन में खोले गये। साक्षरता का प्रतिशत भी 1951 में 8.95 प्रतिशत था जो कि उक्त अवधि में 38.55 प्रतिशत हुआ है।

5. वर्ष 1951 में अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति गृहों, परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य

केन्द्रों की संख्या जहां नगण्य थी, वहीं उक्त अवधि के दौरान इनकी संख्या क्रमशः 964, 1059, 113,384 तथा 7484 हो गई। यह विकास कांग्रेस शासन की नीतियों का ही परिणाम रहा।

6. इसी अवधि में सड़कों की लम्बाई नगण्य से 54856 कि. मी. तक की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में इस अवधि में राज्य में 6461.69 करोड़ रु. का निवेश कर 30547 गांवों को इस अवधि में पेयजल उपलब्ध कराया गया। अकाल राहत पर उक्त अवधि में 1759.40 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

7. राजस्थान पर अकाल की काली और क्रूर छाया कुछ अपवाद वर्षों को छोड़कर लगातार पड़ती रही है जो राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती रही है। कांग्रेस सरकारों ने इस प्राकृतिक विपदा का मुकाबला पूरी दृढ़ता, सूझबूझ और दक्षता से किया तथा कांग्रेस की राज्य सरकार ने अपने शासनकाल में अकाल से निबटने के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर अकाल से ग्रसित लोगों को रोजगार प्रदान किया, बहुमूल्य पशुधन को विभिन्न प्रदेशों से चारा मंगवाकर बचाया, अकालग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की, वृद्धों तथा अपाहिजों को आर्थिक सहायता दी तथा अकालराहत कार्यों के जरिये स्थायी महत्व के कार्यों को तरजीह दी और इसी का नतीजा है कि आज पंचायतघर, पटवाघर, विद्यालय भवन, औषधालय भवन, सामूहिक मनोरंजन केन्द्र पानी के टांके, खेतों पर खड़ीन, एनीकट, सड़कें तथा सामुदायिक उपयोग के पक्के कार्य गांवों में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने बिना किसी भेदभाव के अकाल पीड़ितों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी।

8. पिछली सरकार के आठ वर्षों के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था एक-दम चौपट हो गई। इस दौरान हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण, चोरी, डकैती, पुलिस हिरासत में मौतें एवं लूट की घटनाएं आम बात हो गई थी। दलितों एवं समाज के कमजोर तबकों पर अत्याचार की घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि होती रही और पूर्व सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे इन वर्गों के लोगों के आत्म-सम्मान को भारी ठेस पहुंची। पूर्व सरकार के शासनकाल में हुए विभिन्न साम्प्रदायिक दंगों एवं गोलीकाण्ड की घटनाओं से समूचे अल्प संख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई।

9. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया गया तथा ग्रामीण विकास एकदम ठप्प हो गया। पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों को सरकार की ओर से कोई अधिकार नहीं दिये गये। हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी और विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।

10. पूर्व सरकार ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, बिजली-पानी की आपूर्ति एवं सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद प्रदेश में विद्युत की किसी परियोजना को प्रारम्भ नहीं किया, कृषि कार्यों के लिए नर्सरी योजना शुरू करके प्रदेश के गरीब किसानों को लूटा। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान के

समय सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की। प्रदेश में महंगाई बढ़ती रही लेकिन सरकार ने महंगाई को रोकने हेतु कोई कदम नहीं उठाये। शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं में भी भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं पिछले आठ वर्षों में राज्य की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई और सन् 1989-90 के 6026 करोड़ के मुकाबले 1998-99 में राज्य की देनदारियां बढ़कर 23 हजार करोड़ रु. तक पहुंच गई और सरकार ने बिना तर्क के मात्र धनाभाव के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिया, जिससे प्रदेश के युवा वर्ग में निराशा की भावना व्याप्त हुई।

11. कांग्रेस ने जिस प्रकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति, चरमराये व बिगड़े प्रशासनिक ढांचे के साथ शासन सम्भाला है वह नई सरकार के समक्ष एक प्रकार से राज्य के विकास की गति को तेज करने एवं संवेदनशील प्रशासन देने की एक बहुत बड़ी चुनौती है।

12. राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित कर वास्तविक स्थिति जनता के समक्ष रखने का निर्णय लिया है और सरकार आम जनता को विश्वास में लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करेगी।

13. शासन ने राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने तथा राज-काज में सादगी अपनाने का निर्णय लिया है। इस हेतु सभी विभागों/उपक्रमों एवं संस्थाओं को विस्तृत निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही यह भी आवश्यक हो गया है कि वर्तमान राजकीय व्यय की समीक्षा की जावे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति राजकीय विभागों/योजनाओं/उपक्रमों एवं संस्थाओं की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता हेतु परीक्षण करेगी। तत्पश्चात् शासन आवश्यक निर्णय लेगा। साथ ही विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु पंचायत राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का सक्रिय योगदान प्राप्त करने हेतु "अल्प बचत सहभागिता योजना" लागू की जा रही है। इनके अच्छे परिणाम आने की सम्भावनाएं हैं।

14. राज्य की कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व रहेगा। सार्वजनिक पूजा स्थल, देवस्थान, वक्फ एवं कब्रिस्तान तथा श्मशान गृहों आदि की सम्पत्तियों के विषय में प्रायः देखा गया है कि यह सम्पत्तियां विवाद का विषय बन कर कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न बन जाती है। अतः इनके संरक्षण एवं विवादों को निपटाने के लिए सार्थक कदम उठाये जायेंगे।

15. सरकार ने कार्य सम्भालते ही पूरी गम्भीरता के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है तथा राज्य सरकार ने मानवाधिकार आयोग एवं महिला आयोग के गठन का भी निर्णय ले लिया है।

16. प्रदेश के छात्र, युवा वर्ग में व्याप्त निराशा के भाव को समाप्त करने तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाकर भी सेवानिवृत्ति आयु की अधिकतम सीमा को पुनः 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

17. जनहित में राज्य सरकार ने किसानों की विद्युत समस्या के समाधान को सर्वोच्च

प्राथमिकता प्रदान करते हुए विद्युत उत्पादन एवं उपभोक्ताओं को—विशेषतः कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। राजस्थान में रबी मौसम में विद्युत की अधिकतम मांग होती है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 9.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। रबी के मौसम में किसानों की सुविधा के लिए 8 घण्टे बिजली प्रदान करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जिससे 1.00 करोड़ रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त खर्चा आएगा। विद्युतीकृत ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों मे कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 6000 घरेलू कनेक्शन प्रदान किया जाने थे। अब इसको बढ़ाकर 10000 कनेक्शन देने का निर्ण लिया है। सरकार ने कृषकों को कनेक्शन देने की नर्सरी योजना को समाप्त कर दिया है और 1 अप्रेल, 1999 से कृषि कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन हेतु नई नीति बनाएगी।

18. संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मूल रूप देने हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया। पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने और देश के ग्रामीण विकास में महिलाओं एवं समाज के कमजोर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने पहल की जिसके फलस्वरूप भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में एवं नगरपालिकाओं में आरक्षण मिला।

19. प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल लाया जा रहा है। इस क्रम में जहां राज्य स्तर पर विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एकीकृत कर दिया गया है, वहीं जिला स्तर पर डी. आर. डी. ए. का पूरा प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए जिला प्रमुखों को डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तथा डी. आर. डी. ए. के मार्फत कराई जाने वाली कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है।

20. कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए राज्य सरकार ने कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने का निश्चय किया है। गत वर्षों में राज्य में किसानों की डी.ए.पी. खाद, प्रमाणित व उन्नत बीजों की उपलब्धता आवश्यकतानुसार न होने की समस्या का सामना करना पड़ा था। राज्य में नई कृषि नीति बनाई जाएगी ताकि किसानों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सके व कृषि के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके। जिलों में उत्पादन के आधार पर कृषि

आधारित औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किया जाना, उसके भण्डारण की व्यवस्था करना तथा उत्पादित वस्तुओं के संरक्षण, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं विपणन (घरेलू एवं बाहरी) की समुचित व्यवस्था किया जाना इस कृषि नीति का एक अंग होगा। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्लेज लोन की नीति को क्रियान्वित करने के भी प्रयास किये जाएंगे।

21. राज्य से सब्जी, फलों, फूलों एवं मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण करके कृषि उपज को मण्डियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सांगानेर के पास एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी का टर्मिनल मार्केट स्थापित करने का कार्य किया जायेगा। कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

22. राज्य के समग्र विकास में बिजली का विशेष महत्व है, जिसे देखते हुए बिजली उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। सरकार लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास कर रही है एवं विद्युत उत्पादन हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, दोनों को बढ़ावा देगी। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई को लगाने का काम भी द्रुतगति से प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इसके वर्ष 2000 की प्रथम छमाही में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

23. 35.5 मेगावाट के रामगढ़ गैस आधारित विद्युत गृह के लिए राज्य सरकार ने उचित केलोरिफिक वेल्यू व समुचित गैस आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। इस अतिरिक्त गैस से वर्तमान बिजली घर में 71.0 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। अन्ता बिजली घर की वर्तमान क्षमता 419 मेगावाट है। इसके द्वितीय चरण में नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा 650 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है। इसमें लगभग चार वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ क्षमता स्थापित की जा रही है। इसमें लगभग 20 प्रतिशत राजस्थान राज्य का हिस्सा होगा। राजस्थान आणविक विद्युत गृह, रावतभाटा की तीसरी व चौथी इकाई (कुल 440 मेगावाट) क्रमशः जुलाई व दिसम्बर, 1999 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इस पूरी क्षमता को राजस्थान को आवंटित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जा चुका है।

24. पूर्व में दो निजी परियोजनाओं, 702 मेगावाट के धौलपुर में नेफ्था आधारित विद्युत ग्रह एवं 500 मेगावाट बरसिंगलर लिग्नाइट ताप विद्युत ग्रह परियोजना (लिग्नाइट खनन सहित) को स्वीकृति मिल गई थी। इसके अतिरिक्त कई निजी परियोजनाओं से भी विद्युत क्रय अनुबन्ध हो गये थे। परन्तु इन परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई। उनकी स्थापना में आ रही बाधाओं को दूर करने पर एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति विचार कर रही है, जिससे इन निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं स्थापना में प्रगति हो सकेगी।

25. राज्य के जैसलमेर जिले (पश्चिमी भाग) में पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र व्यावसायिक तौर पर स्थापित करने हेतु प्रथम चरण में जैसलमेर जिले में 2 मेगावाट क्षमता का एक विण्ड फार्म प्रदर्शन हेतु स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

26. राज्य सरकार मथानिया में 140 मेगावाट इंटीग्रेटेड सौर कम्बाइन्ड साइकिल का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है।

27. राज्य में निरन्तर प्रयास के बावजूद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। बीसलपुर मानसीवाकल, गांधेली, साहवा, गजसिंहपुरा योजनाओं को गति दी जावेगी। राज्य को केन्द्र सरकार से 104.01 करोड़ की विशेष सहायता इस वर्ष प्राप्त हो रही है, जिसके अन्तर्गत जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर की जल व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किये जा रहे हैं। इसी सहायता के अन्तर्गत जासावा बिठुजा व जोधपुर में गन्दे पानी के शुद्धीकरण हेतु जल प्रदूषण निवारण मण्डल के माध्यम से कार्य किया जायेगा।

28. समूचे प्रदेश में आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या समाधान हेतु आवश्यक कार्य किये जायेंगे जिससे वर्षा कम होने की स्थिति में भी जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से रखी जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल के गिरते स्तर से उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुओं को गहरा कराया जाएगा, हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराई जाएगी तथा हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु तत्परता से कार्य किया जाएगा।

29. अत्यधिक फ्लोराइड एवं खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की ओर विशेष ध्यान देते हुए पेयजल योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जाएंगी। नागौर जिले के बांकी पट्टी क्षेत्र व जालौर जिले के नेहड क्षेत्र हेतु विशेष योजनाएं बनाकर इनकी समस्या के समाधान हेतु प्रयत्न किये जायेंगे।

30. वर्ष 1999-2000 के दौरान 6000 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि योजनाओं के अन्तिम छोर के ग्रामों को समुचित मात्रा में पेयजल सुलभ हो सके।

31. जहां कृषि के विस्तार एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया गया वहीं जल स्तर में तेज गति से हो रही गिरावट चिंताजनक है। अतः भू-जल के पुनर्भरण हेतु नई तकनीक का विकास किया जायेगा। राजस्थान के मरुभाग में प्राचीन तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं आदि जल स्रोतों को पुनः निर्मित किया जायेगा, जल क्षमता में वृद्धि की जायेगी एवं उस जल को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने की नीति निर्धारित की जायेगी।

32. राज्य में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या चिन्ता का विषय है। जनसंख्या का बढ़ना, किये जा रहे विकास को नगण्य कर देता है। परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में अभी तक रही उदासीनता को दूर करते हुए सरकार जन सहयोग से इस सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी। जनसंख्या स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिले के लिए, व्यापक सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवाओं की आवश्यकता का आकलन करवाया जाकर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। तथा उनके अनुरूप ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा उनकी समीक्षा हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

33. राज्य सरकार बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत

संकल्प है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किये जायेंगे। वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का आंकलन करते हुए जिन क्षेत्रों में कमी है, उनमें योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

34. राज्य में गत वर्षों में मलेरिया, पीलिया एवं अन्य बीमारियों का प्रकोप रहा है। राज्य सरकार इनके नियंत्रण हेतु कारगर कदम उठायेगी।

35. राज्य के औद्योगिक प्रशासन और विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं जैसे रीको, राजस्थान वित्त निगम, हाथकरघा एवं लघु उद्योग निगम, बुनकर संघ तथा विशिष्ट प्रकृति के संस्थानों, जैसे औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो, शिल्प संस्थान, ग्रामीण गैर सरकारी विकास एजेन्सी आदि के वर्तमान कार्य संपादन और प्रक्रियात्मक प्रणाली की पुनरीक्षा की गई है और उसे अधिक चुस्त, तत्पर तथा उद्योगों की सहायता के लिए उन्मुख करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार कुटीर उद्योग, दस्तकारी, हस्तशिल्प और हाथ करघा जैसे अल्प पूंजी से ही विस्तृत रोजगार सृजित करने की सम्भावनाओं वाले इन क्षेत्रों को पल्लवित और प्रोत्साहित करेगी।

36. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपने नये साझेदारी सम्मेलन हेतु राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना है। इसमें देश-विदेश के लगभग 700 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य में खनिज सम्पदा, प्राकृतिक संसाधन एवं सौम्य वातावरण अपने-आप में औद्योगीकरण हेतु आकर्षक रहा है। देश के इस सम्मेलन से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बन सकेगा एवं आशा की जाती है कि इससे प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ेगा।

37. राज्य की रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास, ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश से उद्योगों को प्राणदायी बिजली सुनिश्चित करना, पूर्णतः प्रदूषण-मुक्त औद्योगिक विस्तार, श्रमिक कल्याण, विशेष मंदी के शिकार उद्योगों जैसे सीमेन्ट आदि की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही, भू-अर्जन की वर्तमान स्थिति का पुनरावलोकन तथा आधारभूत ढांचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास के लिए राज्य सरकार न केवल अपने घोषणा पत्र से ही प्रतिबद्ध है, बल्कि इस दिशा में पूरी इच्छाशक्ति से क्रियाशील भी हुई है।

38. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। 200 तक की आबादी वाली सभी बस्तियों एवं अनुसूचित जन-जाति और रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 की आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक उच्च प्राथमिक शाला की सुविधा भी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

39. शिक्षा के स्तर में सुधार करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता व गोपनीयता पुनः कायम करना तथा विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं।

40. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए इस दिशा में और अधिक कारगर प्रयास किये जायेंगे। प्राथमिक शिक्षा, जो विभिन्न कार्यक्रमों, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी आदि के माध्यम से चल

रही है, उनकी समीक्षा कर समन्वित कार्यक्रम बनाया जायेगा।

41. गत वर्षों में उच्च शिक्षा की धूमिल होती छवि व गिरती गुणात्मकता के सुधार हेतु शैक्षणिक सत्र सारिणी का निर्धारण कर उसे कड़ाई से लागू करने के प्रयास पुरी इच्छा शक्ति से किये जायेंगी। शिक्षकों की कमी को दूर करने के शीघ्र प्रयास किये जायेंगे। साथ ही गत वर्षों में विश्वविद्यालयी परीक्षाओं पर लगे प्रश्नचिन्ह को ध्यान में रखकर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पुनःस्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। अनुदानित संस्थाओं को समय पर अनुदान के अभाव में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु समय पर अनुदान जारी करने के प्रयास किये जायेंगे।

42. संस्कृत वाङ्मय ने सदियों से भारतीय संस्कृति अध्यात्म, जीवन-दर्शन एवं जीवन शैली तथा ज्ञान-विज्ञान के व्यापक एवं गहन अनुभूत तत्वों एवं तथ्यों को, संस्कृत विद्वानों एवं ऋषियों के लिखित आलेखों एवं जीवन पद्धति के माध्यम से, संजोकर रखा है। संस्कृत भाषा में हमारी इस अथाह एवं अमूल्य धरोहर को प्रकाश में लाने तथा मानव समाज एवं राष्ट्रहित में इसे प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से ही संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रचार-प्रसार का कार्य राजस्थान में प्रारम्भ किया गया था। संस्कृत शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा।

43. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, क्षमतावृद्धि, गुणात्मक सुधार एवं दक्षता के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जाएंगे। इंजिनीयरिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमितीकरण के पूर्ण प्रयास किये जाएंगे। पॉलीटेक्नीक संस्थानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में संस्थान-उद्योग समन्वय तथा पाठ्यक्रम विकास के प्रयासों से डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास किये जाएंगे। चर्म उद्योग से सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम इस वर्ष जयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भ किया जाएगा।

44. सरकार सूचना के अधिकार की पक्षधर है। विकास सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को सूचना का अधिकार देने हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी।

45. सरकार का प्रयास है कि अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय तथा इसी क्रम में भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं आर. आई. डी. एफ. के तहत नाबार्ड से ऋण की व्यवस्था की जा रही है। कई वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजना यथा पांचना, सावन भादो, परवन जलोत्थान आदि योजनाओं को गति दी जाएगी।

46. प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से 1800 करोड़ रुपये की राजस्थान जल संघनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत लगभग 7.50 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में जल वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था काश्तकारों को सौंपने का प्रावधान है। 1198 लघु सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के माध्यम से किया जाना भी विचाराधीन है।

47. सिद्धमुख नोहर परियोजना का कार्य यूरोपियन आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है तथा इस

परियोजना की सिद्धमुख वितरिका का कार्य नाबार्ड की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।

48. वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं की डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास तथा पुनःस्थापन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात् अन्तिम रूप दिये जाने का प्रयास किया जाएगा।

49. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के महत्व को देखते हुए खालों का निर्माण कर कृषि योग्य क्षेत्र तैयार किया जाएगा तथा भूमि आवंटन कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो सके। सेम की समस्या के निराकरण के लिए एक बहुआयामी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

50. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सहवा (चूरू), गजनेर, पोकरण एवं फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी।

51. राज्य के विकास में सड़कों की अहम भूमिका है। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जाए इसके लिए राज्य सरकार सड़कों के निर्माण में निजी निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। निवेशकों द्वारा "निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण" आधार पर परियोजनाएं बनाई जायेगी। पिछले वर्षों से सड़कों का रख-रखाव नहीं हो रहा है जिससे सड़कों की हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिलेवार सड़कों का सर्वेक्षण कर सड़क के रख-रखाव का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जायेगा। विपणन बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

52. 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। पंचायत मुख्यालयों के गांवों को सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी।

53. राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 के जयपुर के कोटपूतली तक फोरलेनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कोटपूतली से आगे हरियाणा सीमा तक का कार्य भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। फरवरी, 1998 में फतेहपुर-अम्बाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 घोषित किया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 को फतेहपुर-नागौर-जोधपुर-पाली तक बढ़ाने, सिरोही-पिंजवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-बारां-शिवपुरी व अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-नीमच-इन्दौर को नवीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किये जाने के लिए भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है।

54. समाज में सदियों से व्याप्त सामाजिक विषमताओं से ग्रसित कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु वर्तमान सरकार कृत संकल्प है। एक ओर जहां अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान व सुरक्षा के कार्यक्रमों को गति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, वृद्धि व अशक्त कल्याण, परिवीक्षा सेवा एवं नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक राशि

व्यय कर विभिन्न कार्यक्रमों में आशातीत प्रगति लाने का प्रयास किये जा रहे हैं।

55. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम यद्यपि कमजोर वर्गों के परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रयासरत है, तथापि अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर परिवारों को सम्बन्धित राष्ट्रीय वित्त निगमों से ऋण दिलवाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु सघन अभियान चलाया जाएगा। रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाये जाने हेतु इन्हें विभिन्न संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

56. इस वर्ष की शेष अवधि एवं आगामी वर्षों की विभिन्न कार्य-योजनाओं से अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी लाभान्वित किये जाने का निश्चय किया गया है। अनुसूचित जाति के जनसंख्या के अनुपात में राज्य योजना मद से प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु समस्त विकासीय विभागों में अलग से बजट उप-शीर्ष खुलवाया जा रहा है तथा उक्त राशि के उचित उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित रूप से उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार से राज्य सरकार पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान हेतु पूर्ण संवेदनशील रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को माकूल अन्जाम देने का सकल प्रयास करने को कृत संकल्प है।

57. अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की नीति में आ रही कठिनाईयों को समाप्त किया जाएगा तथा आरक्षित पदों को चाहे वे सीधी भर्ती के हों या पदोन्नति के, उन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाएगा तथा पूर्व में स्थगित कोटे को भी तत्परता से भरने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, जिसका कार्य मानवीय संसाधनों का विकास करना होगा। माडा क्षेत्र के बाहर रह रहे आदिवासियों के लिए भी यह सभी सुविधाएं, जो उन्हें देय हैं, सुनिश्चित की जाएगी।

58. अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बोर्ड का गठन किया जाएगा।

59. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा।

60. टाडा के सभी मामलों का तीन माह में पुनरावलोकन कर पुख्ता सबूतों के अभाव वाले प्रकरणों को समाप्त कर दिया जाएगा।

61. राज्य में वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जांच की जाएगी तथा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन भी जल्द ही कर दिया जाएगा।

62. इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

63. उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र कर दी जाएगी।

64. बेरोजगारी कम करने के प्रयासों के बावजूद पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा वर्ष 1998 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय के माध्यम से 1,37,971 आशार्थियों का पंजीयन किया गया है तथा पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 8.99 लाख है। विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के

कारण औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप कुछ विशेष उद्योगों में रुग्णता बढ़ने की सम्भावना है तथा बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। अतः इस क्षेत्र में कार्यरत राजकीय, गैर राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय इकाईयों में प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक आशार्थियों को स्व-रोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे तथा किये गये प्रयत्नों की मॉनिटरिंग हेतु विशेष प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

65. बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज में अपेक्षित सुविधाएं एवं संविधान में दिये गये अधिकार सुरक्षित कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है। बाल श्रमिकों के शोषण को रोका जाएगा। उन्हें शिक्षा के अवसर देने, उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा उनके स्वास्थ्य हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

66. महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य में महिला आयोग का गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया जाएगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाकर इसे सभी स्तरों पर निःशुल्क किया जाना, परित्यक्ता अथवा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए योजना बनाना, कुटीर उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा विधवा, अपंग, वृद्धों और निराश्रितों के लिए पेंशन की व्यवस्था तथा पेन्शन नियमों का सरलीकरण किया जाना सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के उपरान्त भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है एवं महिला उत्पीड़न एवं शोषण के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है। ऐसी शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने एवं शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जिलों में एक जिला स्तरीय सहायता समिति की स्थापना की गई है। इन समितियों को गतिशील बनाया जाएगा।

67. सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए चिन्तित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें खोलकर जनता को आवश्यक उपभोग की वस्तुएं वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में ऐसे व्यापारियों के यहां विशेष तौर से छापे मारे गये, जहां स्टाक से अधिक वस्तुओं का संग्रह होने की सम्भावना थी। इस कार्यवाही के द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य का अनाज, दालें, चीनी आदि वस्तुएं जप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही से कीमतों में कमी आई है।

68. गुणवत्ता मापदण्डों का सख्ती से पालन कराया जायेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून में सुधार तथा उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को नाप-तौल में

कम वस्तुएं देने के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

69. राज्य सरकार जनतान्त्रिक व्यवस्थाओं में पूर्ण विश्वास रखती है। सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचित संचालक मण्डल को सौंपना चाहती है। इस हेतु वर्षों बाद शीघ्र ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। अन्य सहकारी संस्थाओं, जैसे अपेक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, विपणन समितियों आदि के चुनाव भी शीघ्र कराने की कार्यवाही की जा रही है।

70. राज्य में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। लोगों में सहकारिता को बढ़ाने के लिए नये कार्यक्षेत्र खोले जायेंगे। सहकारी आन्दोलन को वृहद् रूप देने के लिए सहकारिता कानूनों, नियमों, उपनियमों में आवश्यक फेरबदल किया जाएगा। अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाये जायेंगे। प्रदेश में दुग्ध-उत्पादक सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा और दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

71. एशियन डेवलपमेण्ट बैंक, आवासन एवं नगरीय विकास निगम और अन्य बैंकों से नगरों के सौन्दर्यकरण, पेयजल, सीवरेज और जन-सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए और अधिक मकान बनाए जाएंगे। नगर निगम कानून के अव्यावहारिक धाराओं को परिवर्तन कर व्यावहारिक किया जाएगा। नगर निकायों की आर्थिक सुधार के प्रयास किये जाएंगे। नगरों के नियोजन को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया जायेगा तथा नगरों में बढ़ती आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए नई आवास नीति बनायी जायेगी। साथ ही शहरी विकास एवं आवासन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशन को सुविचारित नीति के अनुरूप प्रोत्साहित किया जायेगा।

72. कच्ची बस्तियों के नियमन के बारे में भी त्वरित गति से निर्णय लिये जाकर उनको नियमित किया जायेगा एवं कच्ची बस्तियों में आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

73. भविष्य में प्रदेश में नई कच्ची बस्तियों के निर्माण को रोकने हेतु ठोस नीति बनाई जाएगी, जिससे स्वायत्तशाषी संस्थाएं पहल कर समाज के कमजोर तबकों को योजनाबद्ध तरीके से बसा सकें, इस प्रकार ऐसे लोगों को जीवनपर्यन्त नारकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके।

74. पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान के अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए एक दीर्घकालीन पर्यटन नीति बनायी जायेगी तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशन को प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहभागी बनाया जाएगा। हवाई पट्टियों एवं हैलीपेड्स इत्यादि को भी सुविचारित नीति के अन्तर्गत पर्यटन विकास में उपयोग हेतु निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

75. राजस्थान की विपुल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु स्थायी नीति बनायी जायेगी एवं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखने हेतु समयबद्ध एवं समन्वित प्रयास किये जायेंगे।

76. इन विषयों के अतिरिक्त अन्य कई बिन्दु हैं, जिनका चुनाव घोषणा पत्र में विवरण है। राज्य सरकार आगामी समय में समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

77. माननीय सदस्यगण ! इस सत्र में लोक ऋण अधिनियम, 1944 में संशोधन हेतु संकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

78. जैसाकि आप सब जानते ही हैं राजस्थान राज्य की स्थापना के 50 वर्ष दिनांक 30 मार्च, 1999 को पूरे होंगे। राज्य सरकार 30 मार्च, 1999 से 30 मार्च, 2000 तक की अवधि को राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निश्चय किया है। इसमें आप सब का सहयोग एवं सहभागिता भी प्रार्थनीय है। स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान एवं कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

79. राजस्थान के विकास की अपनी जटिल समस्याएं हैं। हम सभी प्रदेश का तेजी से विकास चाहते हैं। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। विकास कार्यक्रमों में नया दृष्टिकोण रखना होगा तथा प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता व कुशलता लानी होगी। वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबन्ध करके तथा उनके उचित उपयोग से ही प्रदेश के विकास को और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है।

80. मैं यजुर्वेद के इन शब्दों में सहकार भावना संवर्धित करने का अनुरोध करना चाहूंगा :

"मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।"

अर्थात् देश के समस्त निवासी मुझे बन्धुत्व भावना से देखें, मैं सभी देशवासि[illegible] को बन्धुत्व भाव से देखूं। हम सब एक दू[illegible] के प्रति बन्धुत्वभाव रखें।

81. इस प्रकार की सद्भावनाओं के संबल से ही यह देश सदा प्रगति करता रहा है। सद्भाव की इसी संस्कृति के अनुरूप समस्त माननीय सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं।

82. आइए, हम सब मिलकर राजस्थान को एक विकासशील राज्य से उन्नत राजस्थान बनाने हेतु संकल्प लें।

जयहिन्द।